



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)
Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority
(A Statutory Authority Created by an Act of Parliament)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India
एन ए एस सी कॉम्प्लेक्स, डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली-110012
NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village, New Delhi 110012
Tel: 011 - 25843388, Fax: 011-25840478, E-mail:- la-ppvfra@nic.in

फ.सं. पीपीवीएंडएफआरए/विधि/02/2019

दिनांक: 07.07.2022

सार्वजनिक सूचना

(2022 का 05)

विषय:- विदेशी वानस्पतिक रूप से प्रचारित पादप सामग्री के पंजीकरण के लिए आवेदकों द्वारा पादप संगरोध (Quarantine) स्वीकृति प्रस्तुत करने के संबंध में।

वानस्पतिक रूप से प्रचारित पादप सामग्री , जो विदेशी हैं और पीपीवीएफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए भारत में आयात की जाती हैं और साथ ही प्लांट क्वारंटाइन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश के तहत जारी अंतिम पद प्रविष्टि संगरोध (Quarantine) जारी आदेश , 2003 की एक स्व-प्रमाणित प्रति होनी चाहिए , जो विनाशकारी कीटों और कीट अधिनियम, 1914 के अंतर्गत तैयार किया गया है।

-हस्ताक्षरित-
रवि प्रकाश
पंजीकार